(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 5/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसैंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंत:राज्यीय आपूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पैट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है ।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार